न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद अपील सख्या 03 / 2018

श्री मिश्रीलाल जैन पुत्र श्री सोहनलाल निवासी टाटॅगढ जिला– अजमेर (राज0)

.......**अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी, अजमेर। ....**रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः– 1. श्री जिनेश सिंह सोनी — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री नीरज जैन — पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 04.012..2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रान्जेक्शन किये जाने की खाद्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण सं0 435 / 16 दर्ज कर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जिसका अपीलान्ट द्वारा लिखित में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि "नियमानुसार पीओएस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात ही उपभोक्ताओं को गैहूँ का वितरण किया गया है। उपरोक्त सिस्टम में नया होने तथा पॉस मशीन एवं सीडिंग की पूर्ण जानकारी नहीं होने कारण एक आधार कार्ड से अनेक (अलग–अलग) उपभोक्ताओं के गैहूँ निकालने की गलती अनजाने में हो गई। गलत नियत या जानबुझ कर इस तरह का ट्राजेंक्शन नहीं किया गया है।" इस पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा क्षैत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक से जांच रिपोर्ट तलब की गई। प्रवर्तन निरीक्षक की प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन आधार कार्ड की आई डी का उपयोग विभिन्न व्यक्तियों के 108 राशनकार्डो के साथ सीडिंग कर कुल 1320 किलोग्राम गैहूँ एवं 204 लीटर केरोसीन का गलत तरीके से अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध ट्रान्जेंक्शन मानते हुए विभागीय प्रकरण में दिनांक 6.12.2016 को आदेश पारित कर अपीलान्ट का एफपीएस कोड संख्या 2101 तहसील टॅाटगढ का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। तत्पश्चात विभागीय आदेशों एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 10.08.2017 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट के इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों0 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर *

D.Sharma

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्यतः निवेदन किया कि अपीलान्ट पिछले 28 वर्षो से उचित मूल्य दुकान का संचालन ईमानदारी से कर रहा है इस अवधि में अपीलान्ट के विरूद्ध एक भी शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार के खाद्य विभाग द्वारा रसद सामग्री के वितरण हेतु पीओएस मशीन का वितरण किया गया, किन्तु इस बाबत कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। पीओएस मशीन में उपभोक्ताओं के अंगूठे निशान नहीं आने पर क्या कार्यवाही की जानी है इस बाबत भी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिये गये। जानकारी किये जाने पर प्रवर्तन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा केवल यही निर्देश दिये गये कि किसी उपभोक्ता की रसद सामग्री नहीं मिलने की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसी बात को मध्यनजर रखते हुए अपीलान्ट द्वारा रसद सामग्री का वितरण किया गया। जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस का अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य दुकान अनुज्ञा पत्र के निलम्बन कार्यवाही के विरूद्ध एक रिट पिटिशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि 90 दिन पश्चात अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञा-पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 16.8.2017 से आक्षेपित निलम्बन को निरस्त कर अनुज्ञा पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना हेतु अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट को दिनांक 21.8.2017 के प्रार्थना पत्र के जरिये निवेदन किया गया। तत्पश्चात अप्रेल 2018 में रेस्पोडेन्ट का दिनांक 10.8.2017 का पत्र मिला जिसमें अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञा-पत्र निरस्त किये जाने का उल्लेख था। प्रश्नगत उचित मूल्य दुकान के उपभोक्ताओं को अपीलान्ट से कोई शिकायत नहीं है एवं ना ही अपीलान्ट द्वारा किसी अनाधिकृत व्यक्ति को राशन सामग्री का वितरण किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने दुकान के उपभोक्ताओं को समय पर रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। नियमानुसार पीओएस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात ही उपभोक्ताओं को गैहूँ का वितरण किया गया है। उपरोक्त सिस्टम में नया होने तथा पॉस मशीन एवं सीडिंग की पूर्ण जानकारी नहीं होने कारण एक आधार कार्ड से अनेक (अलग-अलग) उपभोक्ताओं के गैहूँ निकालने की गलती अनजाने में हो गई। गलत नियत या जानबुझ कर इस तरह का ट्राजेंक्शन नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा किसी भी प्रकार से प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन नहीं किया गया है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा बिना किसी पुख्ता आधार के जल्दबाजी में आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है। अतः अपील, अपीलान्ट स्वीकार करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 10.08.2017 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावे।

जवाब में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रान्जेक्शन किये जाने की खाद्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण सं0 435/16 दर्ज कर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया गया कि "पीओएस मशीन द्वारा वितरण जनवरी 2016 से प्रारम्भ किया गया। सिस्टम में नये-नये होने के कारण मशीनों एवं सीडिंग के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी, इसलिए एक ही आधार कार्ड से बार-बार गैहूँ निकालने की गलती अनजाने में हो गई। गलत नियत या जानबुझ कर इस तरह के ट्राजेंक्शन नहीं किये गये। भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी।" अपीलान्ट के इस जवाब पर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

R. Sharma

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

क्षैत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक से जांच रिपोर्ट तलब की गई जिसके अनुसार भी अपीलान्ट डीलर द्वारा एफपीएस कोड सं0 15283 द्वारा आधार कार्ड नं0 915598811547 का दुरूपयोग कर अलग–अलग उपभेक्ताओं के कुल 10 राशन कार्डो के साथ सीडिंग करके 250 किलोग्राम गैहूँ, 16 लीटर अनुदानित केरोसीन, आधार कार्ड संख्या 272244746680 का अलग–अलग उपभोक्ताओं के कुल 3 राशन कार्डो के साथ सीडिंग कर 60 किलोग्राम गैहूँ एवं एफपीएस कोड नं0 2101 पॉस मशीन से एक ही आधार कार्ड संख्या 272244746680 का दुरूपयोग कर अलग अलग उपभोक्ताओं के कुल 19 राशन कार्डो के साथ सीडिंग कर 365 किलोग्राम गैहूँ, आधार कार्ड संख्या 915598811547 का दुरूपयोग कर उलग अलग उपभोक्ताओं के कुल 4 राशन कार्डो के साथ सीडिंग कर 150 किलोग्राम गैहूँ तथा 4 लीटर केरोसीन, इसी प्रकार आधार कार्ड संख्या 674952746073 का दुरूपयोग कर अलग–अलग उपभोक्ताओं के कुल 72 राशन कार्डो के साथ सीडिंग कर 540 किलोग्राम गैहूँ तथा 184 लीटर केरोसीन का फर्जी ट्रान्जेंक्शन किया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा कुल 1320 किलोग्राम गैहूँ एवं 204 लीटर केरोसीन का गलत तरीके से अवैधानिक ट्रान्जेंक्शन किया जाना पाया गया। एक आधार कार्ड की आई डी का उपयोग दूसरे व्यक्तियों के राशनकार्डों पर कर ट्रांन्जेक्शन करना पूर्णतः अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध है। लिहाजा विभागीय प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 06.12.2016 के द्वारा अपीलान्ट को जारी एफपीएस कोड नं0 2147 तहसील टॉटगढ का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट का उक्त कृत्य विभागीय आदेशों एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 के उल्लंघन के तहत पाया जाने पर जिला रसद अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 10.08.2017 द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त सरकार की गई। अतः अपीलाधीन आदेश पूर्णतया न्यायसंगत, विधि अनुरूप तथा अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रान्जेक्शन किये जाने की विभागीय रिपोर्ट तथा क्षैत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक से बाद जाचं प्राप्त रिपोर्ट में अपीलान्ट के विरूद्व गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने एवं विभागीय आदेशो एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 का भी स्पष्ट उल्लंघन पाया जाने पर ही जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलान्ट (डीलर) का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त सरकार की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पारित आदेश में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रकट नहीं होने से इसमें कोई हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है। अतः ठोस आधार नहीं होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2017 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गय।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner